किस्म मुकदमा – अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम प्रकरण सं. 177/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जमनालाल पुत्र नगजी खटीक नि.पुर वगैरह ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थीगण ने की शामलाती कृषि भूमि वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा मे खाता सं.नया 1114 व खाता संख्या पुराना 1025 मे वर्णित आराजी संख्या 1656,1657,1665,4887 कुल किता 4 रकबा 1.1507 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है । जिसमे वादीगण के पिता का नाम नाना पिता उदा खटीक अंकित कर दिया जिसे दुरस्त कर नगजी पिता दुदा खटीक अंकित किया जावे । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2025/3225 दिनांक 19.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई । प्रार्थीया अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । विधि का अनुशीलन किया गया गया । पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण अपने पिता का नाम नाना पिता उदा खटीक के बजाय नगजी पिता दुदा खटीक संशोधित करवाना चाहता है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे प्रार्थीगण को राहत दिया जाना सम्भव नही है । जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 पर स्वीकार योग्य नही ठहरता है । अत:प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । 20/5/26 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	